24/7/22

प्रारूप –2

ग्राम:
ई–मेल :
फोन :
फैक्स :

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : जिशिचि / प्राशि / 2013-14/ मान्यता / 97 दिनांक : 30/4/13

प्रबन्धक

एम अकादमी (Aim Academy)
109 कैलाश नगर,
चित्तौड़गढ़

विषय :– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन क लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया

आपके दिनांक 28/2/13 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिवेदन से मैं एम अकादमी, कैलाशनगर, चित्तौड़गढ़ (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक .... से दिनांक 31-03-2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हू। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं – अंग्रेजी

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा– 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटैशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा इंकार नहीं करेगा
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया हैं।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि –
   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम –23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा –19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा –19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	13950 Sq feet
2	कुल निर्मित क्षेत्र	4950 Sq feet
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	
4	कक्षा कक्षों की संख्या	11.
5	प्रधानाध्याक–सह–कार्यालय–सह भंडार कक्षा	प्र. अ. कक्ष 1.
6	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है. Boys. 2 Girls-1
7	पेयजल सुविधा	उपलब्ध है, (Campus Supply है)
8	मिड–डे–मिल पकाने क लिए रसोई	–
9	बाधा रहित पहुंच, रेम्प	–
10	अध्यापक पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता	अपर्याप्त

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से और गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।

14 विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्ही अन्य परिस्थितियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा हैं।

15 विद्यालय का लेखाओं की चार्टड अकाउंन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये।प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चित्तौड़गढ़ को भेजी जानी चाहिये।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक CTG-160 हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समयपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर /जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यतासंबंध शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए संलग्न उपाबंध III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

1– सत्र 2013-14 में कक्षा 6th प्रारम्भ करें प्रति सत्र एक कक्षा क्रमोन्नत
2– करते कक्षा आंठवी तक सन्चालित की जावें।
3– उपरोक्त निर्देश बिन्दु स-1 से 18 की पालना सुनिश्चित की जावें एवं सत्र समाप्ति पर पालना शर्त पत्र प्रस्तुत करें।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं. शिक्षा,चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय आदेश

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार तय मापदण्ड तीन वर्ष के भीतर पूरे करने थे।

एतदर्थ इस कार्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशषां पर निम्न विद्यालयों की मान्यता तय मापदड पूरे करने से अन्य आदेश तक बढ़ाई जाती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं 19 की पालना करने में कोई विद्यालय असफल रहता हैं तो विद्यालय की मान्यता उक्त धारा 3 के अनुसार तय तरीके से वापस ली जा सकेगी।

क्र.स.	नाम विद्यालय	कोड नम्बर	स्तर
1	ग्लोरियस अकेडमी, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़	CTG-34	उप्रावि
2	डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल, किला रोड़, चित्तौर्ड़गढ़	CTG-149	उप्रावि
3	एकता अकादमी, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़	CTG-11	उप्रावि
4	ब्राइटलेण्ड स्कूल गांधी नगर, चित्तौड़गढ़	CTG -41	उप्रावि
5	संस्कार वेली इंटरनेशनल स्कूल ओछड़ी, चित्तौड़गढ़	CTG -56	उप्रावि
6	सेन्ट्रल अकादमी उमावि सेंती, चित्तौड़गढ़	CTG-137	उप्रावि
7	न्यू केशव विद्या निकेतन, उप्रावि गणेशपुरा, चित्तौड़गढ़	CTG -53	उप्रावि
8	कालिका ज्ञान केन्द्र, उमावि कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	CTG -85	उप्रावि
9	कालिका ज्ञान केन्द्र मावि प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़	CTG - 84	उप्रावि
10	शांति विद्या मंदिर अभयपुरा, चित्तौड़गढ़	CTG - 30	उप्रावि
11	अग्रसेन पब्लिक स्कूल, अग्रसेन नगर, चित्तौड़गढ़	CTG - 58	उप्रावि
12	एम अकादमी उप्रावि चामटी खेड़ा रोड़, चित्तौड़गढ़	CTG - 160	उप्रावि
13	गायत्री आदर्श मा. विद्या मंदिर सोमनगर, चित्तौड़गढ़	CTG - 102	उप्रावि
14	श्री पब्लिक उप्रावि सेतीं, चित्तौड़गढ़	CTG -51	उप्रावि
15	कंचन विद्या विहार, घोसुण्डा, चित्तौड़गढ़	CTG -124	उप्रावि
16	शास्त्री बाल शिक्षा निकेतन, बस्सी खेड़ा	CTG -76	प्रावि

17	सोनू पब्लिक स्कूल सतपुड़ा, चित्तौड़गढ़	CTG -63	उप्रावि
18	श्री भुवन भानू सुरिश्वर जैन उमावि, चित्तौड़गढ़	CTG -87	उप्रावि
19	होली एंजिल प्रावि , बस्सी	CTG -143	उप्रावि
20	सरस्वती विद्या निकेतन उप्रावि करजाली, कपासन	KAP-21	उप्रावि
21	सरस्वती पब्लिक उप्रावि कपासन	KAP-14	उप्रावि
22	जय मां गायत्री विद्या मंदिर उप्रावि, कपासन	KAP-01	उप्रावि
23	जी.एन. अकादमी उप्रावि कपासन,	KAP - 11	उप्रावि
24	एम.बी. किड्स अकेदमी राशमी	RSH- 25	प्रावि
25	विवेकानन्द अकादमी मावि बड़ीसादड़ी	BDS-31	उप्रावि
26	विवेकानन्द अकादमी प्रावि बड़ीसादड़ी	BDS-9	प्रावि
27	श्रद्धा विद्या मंदिर उप्रावि बोहेड़ा, बड़ीसादड़ी	BDS-7	उप्रावि
28	विवेकानन्द अकादमी चौधरी मौहल्ला, बड़ीसादड़ी	BDS-42	उप्रावि

sd.
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं. शिक्षा, चित्तौड़गढ़

क्रमांक : जिशिचि / प्राशि / कास / वि.मा. / 2013 / 216 दिनांक : 27-5-13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1 श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

2 श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।

3 समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़।

4 संबंधित संस्थाप्रधान ....

5 कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारं.शिक्षा, चित्तौड़गढ़

विद्यालय - Aim Academy (P16806)

आवेदन क्रमांक : 42152

मान्यता कोड : RJCRG32194

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक CHITTAURGARH , राजस्थान

क्रमांक: जिशिअ/प्रारं/चित्तौड़/मान्यता/2022-23/4024 दिनांक 25/6/2022

सचिव

प्रबंध समिति

Aim Academy

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप– नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42152 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Aim Academy पता 100 Feet Ochhari Road, Chittorgarh ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय OCHHARI ब्लॉक CHITTORGARHआसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 72, 74 खसरा न. 73, 1493/72, 1494/74को शैक्षिक सत्र 2022-23 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	CHITTAURGARH	ब्लॉक	CHITTORGARH
ग्राम पंचायत /यु एल बी		ग्राम /वार्ड	
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	109, Kailash Nagar, Chittorgarh.		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	CHITTAURGARH	ब्लॉक	CHITTORGARH
ग्राम पंचायत /यु एल बी	OCHHARI	ग्राम /वार्ड	Ochhari
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	100 Feet Ochhari Road, Chittorgarh		

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
3. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
4. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
6. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रार० शिक्षा, चित्तौड़गढ़

प्रारूप - 2

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक CHITTAURGARH , राजस्थान

7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए
(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
8. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
11.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
13. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय– समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रार० शिक्षा, चित्तौडगढ

विद्यालय - Aim Academy (P16806)

आवेदन क्रमांक : 42152

मान्यता कोड : RJCRG32194

प्रारूप - 2

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक CHITTAURGARH , राजस्थान

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रार० शिक्षा, चित्तौड़गढ

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तो का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रार० शिक्षा, चित्तौड़गढ